झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–432/2016– .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **रोरो सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य हेतु रू॰ 6670.43 लाख (रू॰ छियासठ करोड़ सत्तर लाख तेतालीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रक्षेत्राधीन रोरो वीयर योजना प० सिंहभूम जिले के चाईबासा अन्तर्गत ग्राम– पताहातु के पास रोरो नदी पर निर्मित रोरो सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य हेतु रू॰ 6670.43 लाख (रू॰ छियासठ करोड़ सत्तर लाख तेतालीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।।

3. योजना रूपांकित कुल खरीफ सिंचाई क्षमता 8000 हे० है। इस योजना से चाईबासा जिले के किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है तथा चाईबासा शहर को पेयजलापूर्त्ति की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के मुख्य नहर का रूपांकित जलश्राव 7.92 क्यूमेक एवं सरायकेला शाखा नहर का 5.60 क्यूमेक है।

4. योजना की सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल करने के लिये योजना के पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य के अन्तर्गत वीयर के सभी 3 गेट को बदलने, मुख्य नहर का तल सफाई, तटबंध सुदृढ़िकरण, कंक्रीट लाईनिंग कार्य तथा सरायकेला शाखा नहर एवं मुख्य नहर से निःसृत तीन वितरणी, सरायकेला शाखा नहर से निःसृत भोया वितरणी का मिट्टी कार्य, संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य एवं कंक्रीट लाईनिंग कार्य का प्रवधान है। उक्त सभी मरम्मति कार्यों मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरणी एवं जलवाहों के जीर्णोद्धार कार्य के साथ 2 नया पुल, 2 नया फुट ब्रीज एवं मुख्य नहर में 6 नया आउटलेट/ जलवाहों के निर्माण तथा भोया वितरणी में एक फॉल संरचना का पुनर्निर्माण एवं 2 नये सी०डी० संरचना के निर्माण कार्य का प्रावधान किया गया है।

5. प्रस्तावित पुनरूद्धार (ERM) कार्य कराने के पश्चात् 5700 **हेक्टयर** में खरीफ सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, चाईबासा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

योजना का कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रशासनिक नियंत्राधीन होगा। याँत्रिक कार्यों के लिए नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, याँत्रिक, राँची होंगे। यांत्रिक कार्यों के सही होने की सहमति कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक से प्राप्त की जायेगी।

7. योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रारंभ कर अगले दो वर्षों में वर्ष 2018–19 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

8. योजना का लाभ–लागत अनुपात 2.41 : 1 आकलित है।

9. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

(i) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य

(ii) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

10. वर्ष 2016–17 के लिये प्रस्तावित बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

a. शीर्ष 49P – 4701 – 80 – 800 – 54 – 05 – 45 में रू० 9000.00 लाख
b. शीर्ष 49P – 4701 – 80 – 796 – 54 – 05 – 45 में रू० 7000.00 लाख

11. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिससे संबंधित अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

12. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी चाईबासा कोषागार, चाईबासा से की जायेगी।

14. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

16 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

17. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

18. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

19. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

20. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह० / –

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—432/2016— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना —सह— वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—432/2016— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—432/2016— 04/16-17 प्र.स्वी. /राँची, दिनांक 12.04.2016

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, चाईबासा/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/4/16

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

11/04/16